



जयपुर विकास प्राधिकरण  
आवेदन पत्र

प्रपत्र-1  
CCC-9

विषय /  
सेवा का नाम  
Subject /  
Service Name  
सेवा में,

(आवासीय से वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु)

उपायुक्त  
जोन संख्या:.....  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

**आवेदक का विवरण (Applicant's Detail) :**

- नाम (Name) : श्री (Sh.)/श्रीमती (Smt.)/सुश्री (Ms.) \_\_\_\_\_
- पिता/पति का नाम (Father's/Husband's Name) : श्री (Sh.) \_\_\_\_\_
- पता (Address) : \_\_\_\_\_
- शहर का नाम (City) : \_\_\_\_\_ पिन कोड (Pin Code) \_\_\_\_\_
- दूरभाष (Phone Numbers) : 

कार्यालय (Off.)	निवास (Res.)	मोबाइल (Mobile)	फैक्स (Fax)
-----------------	--------------	-----------------	-------------
- ई-मेल (Email address) : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

**भूमि जिसका भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है, का विवरण (Plot Details) :**

- (क) कहां स्थित है:- .....  
(ख) (स्थिति/भू-उपयोग प्लान अथवा शहर का नक्शा संलग्न करें)  
(ग) खसरा नम्बर/सहकारी समिति का पट्टा/जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम द्वारा आवंटित भूखण्ड का विवरण :-  
.....  
(घ) खसरा प्लान/साईट प्लान (खसरा प्लान/साईट प्लान की प्रति जिसमें भूमि के चारों ओर के क्षेत्र की विशिष्ट स्थितियों का विवरण हों, संलग्न करें)  
.....  
(च) निम्न बिन्दुओं के संबंध में विवरण :-  
(1) भूमि अवाप्ति-यदि भूमि अवाप्ताधीन हो तो विवरण दें।  
  
(2) विधिक स्थिति- यदि भूमि विवादग्रस्त है, न्यायालय का स्थगन आदेश आदि है, तो विवरण दें।  
  
(छ) भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकार :-  
वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजनार्थ  
(ज) भू-उपयोग परिवर्तन चाहने के कारण :-  
.....

**संलग्न दस्तावेज(स्वप्रमाणित) :-**

- स्वामित्व संबंधि दस्तावेज/नवीनतम जमाबन्धी, आवेदित भूमि का खसरा प्लान की प्रति।
- मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग सहित आसपास का सर्वे लोकेशन प्लान।
- अगर जविप्रा द्वारा लीजडीड जारी हो तो लीजडीड मय साईट प्लान की प्रति।
- आवेदन शुल्क 1/- रु. प्रति वर्ग गज (कम से कम रु. 500/- एवं अधिकतम रु. 50,000/-) जमा की चालन की प्रति। प्रकरण सम्बन्धित अन्य कोई सूचना।
- यदि आवेदक मुख्त्यारआम है, तो पंजीबद्ध मुख्त्यारआम की प्रति।
- यदि आवेदक कम्पनी है तो कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र, कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति।
- यदि आवेदक फर्म/संस्था है, तो पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रति।
- आवेदक का फोटो पहचान पत्र।
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रपत्र 2 के अनुसार।
- स्वप्रमाणित शपथ पत्र प्रपत्र 3 के अनुसार।

9. दस्तावेजों की संख्या  
(No. of documents attached)

10. पृष्ठों की संख्या  
(No. of pages)

Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर

(Signature of Applicant)

स्व-घोषणा पत्रस्वप्रमाणित  
फोटो

मैं ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... उम्र ..... वर्ष, निवासी  
 ..... जिला ..... राजस्थान घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन  
 पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएँ तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र (प्रपत्र 3) एवं संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी  
 जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी  
 गई जानकारी भविष्य में झूठी/असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का  
 सामना करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जावेगा।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

## शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .....  
 आयु ..... जाति ..... निवासी ..... जो कि खसरा  
 नम्बर /जिलाधीश कार्यालय का पट्टा/जयपुर विकास प्राधिकरण /नगर निगम द्वारा आवंटित भूखण्ड का  
 विवरण ..... के सम्बन्ध में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदनकर्ता हूँ, सत्य एवं निष्ठापूर्वक घोषणा  
 करता/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित भूमि निम्नांकित श्रेणी की भूमि नहीं है/भूमियों में स्थित नहीं है:-

1. गृह निर्माण सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजनाओं की भूमि।
2. गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजनाओं की भूमि जिनके शिविर आयोजित नहीं किये गये हैं।
3. मंदिर माफी, किसी राजकीय विभाग, देवस्थान विभाग, किसी सार्वजनिक ट्रस्ट, किसी धार्मिक या  
 चेरिटेबल/संस्थान, वक्फ की भूमियां।
4. वह भूमि जो निर्धारित सड़क सीमा एवं रेलवे सीमा के अन्तर्गत आती है।
5. पुरातत्व/सांस्कृतिक/ऐतिहासिक महत्व के भवन व भूमि।
6. नदी/नाले/तालाब व उनका केचमेन्ट क्षेत्र
7. राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित भूमि।
8. ऐसी भूमियाँ जिन पर किसी न्यायालय में वाद चल रहा है।
9. राज्य सरकार द्वारा अवाप्ताधीन भूमियाँ।
10. आवेदक सहखातेदार होने की दशा में जब तक भूमि का रिकार्डेड विभाजन न हो।
11. गैर खातेदारी की अराजी।
12. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) के प्रावधानों के विपरीत अन्तरण की भूमि।
13. खातेदारी भूमि जिसकी किस्म नाडी, जोहड़, पायतन, तालाब अथवा गैरमुमकिन नदी हो। ऐसे स्थल जहाँ  
 जल संग्रहण हो एवं माननीय उच्च न्यायालय के नियमानुसार निर्माण कार्य नहीं हो सकता।
14. जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 54(बी) के अनुसार प्रतिबन्धित भूमियाँ।

(शपथ गृहिता के हस्ताक्षर)

नाम .....  
 पिता/पति का नाम .....  
 पता .....

### सत्यापन

मैं शपथकर्ता .....ईश्वर को साक्षी करके शपथ एवं निष्ठापूर्वक घोषणा  
 करता/करती हूँ कि कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई और न तथ्य व रिकार्ड के विपरीत  
 कोई बात कही गयी है। अतः ईश्वर सच बोलने में मेरी सहायता करें।

(शपथ गृहिता के हस्ताक्षर)

दिनांक  
 स्थान

नाम .....  
 पिता/पति का नाम .....  
 पता .....